


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बनेड़ा मुकाम बैरा

ब. द. राम जाट बनाम डे. स. राज जाट
म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0ए0 नं0 72 सन् 2022

दिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.05.2022	<p>प्रार्थना पत्र केम्प कोर्ट बैरा पर पेश हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा</p>	



प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 फोलोअप कैम्प मुख्यालय बैरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 72 / 2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1-5 नन्दराम, बालू, रामेश्वर, बद्री, देवकरण पिता गोकल जाट निवासी ऐरारी खेड़ा तहसील बनेड़ा
प्रार्थीगण

बनाम

- 1- हंसराज पिता बद्री जाट निवासी ऐरारी खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2- जगदीश पिता छीतर जाट निवासी ऐरारी खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- भंवर पिता सुखदेव जाट निवासी बरण तहसील बनेड़ा
- 4- खाना पिता भैरू जाट निवासी ऐरारी खेड़ा तहसील बनेड़ा
- 5- बी0आर0जी0बी0 शाखा माण्डल चौराहा
- 6- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा

विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा
अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 25 / 05 / 2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :-
प्रार्थीगण ग्राम हाथीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 276 रकबा 0.2276 है0, 286 रकबा 1.1382 है0 कुल किता 2 रकबा 1.3658 है0का प्रार्थीगण चाहते काश्तकार है वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी कराई जाये।
प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रार्थी/अभिभाषक दिनांक 25/05/2022 को केम्प मुख्यालय सरदारनगर पर उपस्थित हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल, जमाबन्दी ग्राम हाथीपुरा संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजियात के प्रार्थीगण संयुक्त खातदोरी दर्ज होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हाथीपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातदोरी की आराजियात 276 रकबा 0.2276 है0, 286 रकबा 1.1382 है0 किता 2 रकबा 1.3658 है0 की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व

158

न कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक बेरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये कायम किये जाते हैं। प्रार्थीगण कमिश्नर फीस मौके पर जमा करावें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातदोरी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बेरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तफसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2022 को प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 फोलोअप कैम्प मुख्यालय बैरा पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/8
(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

✓ तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

15/8
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा